संचिका संख्या.–12/प0क0(बजट)10–06/11 – 2(12)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्रपटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 28-05-2015

विषय– **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन मांग सं0–20 मुख्यशीर्ष–2211 परिवार कल्याण में राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए विभिन्न उपशीर्ष इकाई के स्वीकृत पदों का कुल राशि–3400000000 (तीन अरब चालीस करोड़) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–04(12) दिनांक–16.05.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए किये गये अवधि विस्तार के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि केन्द्र प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं इसके अधीन विभिन्न संस्थानों में सृजित सभी पदों का वित्तीय वर्ष 2014–2015 तक बजट उपबंध 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा था, जो कि अब वित्तीय वर्ष 2015–16 से राज्य योजना के मद से उपबंधित किया जा रहा है। इस उपबंध के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत कुल 3400000000 (तीन अरब चालीस करोड़) रूपये मात्र (विवरणी संलग्न) का उपबंध किया गया है। अतः अब वित्तीय वर्ष 2015–16 से राज्य योजना के अन्तर्गत कुल 3400000000 (तीन अरब चालीस करोड़) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. यह शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका व्यय भार अब शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है । इस चालू योजना का नियमित अवधि विस्तार होता आ रहा है।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगें तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र पर अंकित करेंगें ।
4. राशि का व्यय स्वीकृत बल के विरूद्ध वास्तविक रूप से कार्यरत बल तक ही सीमित रखा जायेगा, तथा केन्द्र सरकार के मार्ग दर्शन के अनुरूप योजना को कार्यान्वित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
5. मशीन उपकरण, कर–किराया, छात्रवृत्ति, सामग्री आपूर्तियां एवं कार्यालय व्यय मद की राशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा ।
6. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–2211 परिवार कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–00 राज्य योजना अन्तर्गत संलग्न व्यय विवरणी में अंकित विभिन्न उप–शीर्ष/लघु शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–2016 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
7. राशि का व्यय संबंधित बजट शीर्ष ईकाई के अधिसीमा के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं 2419 वि0(2) दिनांक–05.04.07 के आलोक में किया जायेगा।
8. स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 379(9) दिनांक– 16.08.02 के आलोक में सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए ही सामग्री एवं अन्य कय किया जायेगा।
9. अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, राज्य प0क0 ब्यूरो पटना, सचिवालय कोषांग/राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (शीत श्रृंखला सहित) एवं आफसेट प्रेस के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें । जिला स्तर पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें । एल0एच0भी0 तथा ए0एन0एम0 प्रशिक्षण विद्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदा0 होगें । शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदा0 होगें तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य

Join sec/12

एवं प0क0 प्रशिक्षण केन्द्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित केन्द्र के प्राचार्य होगे। नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार होगें।

10. अवधि विस्तार के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या मं0मं0–01/आर0–02/2007–602 दिनांक–20.03.07 के कंडिका ग (2) के आलोक में अवधि विस्तार किया जा रहा है ।

12. यह मात्र अवधि विस्तार है, आवंटन अलग से दिया जायेगा।

13. राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उपकोषागार से की जाएगी।

विश्वासभाजन

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– 2 (12) /पटना दिनांक – 28-05-2015

प्रतिलिपि–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन एवं विकास भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि–वित्त विभाग/योजना विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि–सचिव सह कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार परिवार कल्याण भवन शेखपुरा पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि–मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, राज्य प0क0 ब्यूरो, पटना/सभी संबंधित प्राचार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं प0क0 प्रशिक्षण केन्द्र/ सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह मुख्य चिकित्सा पदा0/अपर मुख्य चि0 पदा0/ राज्य जिला आर0सी0एच0 पदा0 /जिला प्रसार एवं मिडिया पदा0/प्रभारी चिकित्सा पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि– राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, पटना के अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1,7,10,12 एवं 16 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

मुख्यशीर्ष 2211–परिवार कल्याण–केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपशीर्षवार वित्तीय वर्ष– 2015–16 का व्यय का ब्यौरा का सारांश

क्रं0 सं0	लघु शीर्ष	उपशीर्ष	वेतन	विशेष वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग–वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कान्फ्रेंस कार्यशाला सेमिनार	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी/पोशाक	विद्युत प्रभार	सामग्री एवं पूर्तियां	अन्य प्रभार	किराया एवं महसूल कर	मजदूरी	छात्रवृति/वजीफा/पोशाक भत्ता	मशीनें एवं उपस्कर	मोटर गाड़ी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	00 1	0104–निदेशन एवं प्रशासन	100000000	200000	120000000	20000000	15000000	1500000	200000	256900000	200000	50000	1000000	1800000	200000	600000	5000000	800000	0	2450000	0	0	1000000	10000000	280000000
2	00 3	0106–प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	30000000	500000	35400000	6000000	1500000	800000	100000	74300000	700000	0	390000	600000	75000	200000	5500000	150000	0	600000	50000	7335000	100000	0	90000000
3	00 4	0102–अनुसंधान एवं मूल्यांकन	650000	0	767000	130000	30000	15000	4000	1596000	40000	0	8000	25000	0	4000	27000	0	0	0		0	0	0	1700000
4	101	0105–ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (स्वास्थ्य उपकेन्द्र)	1300000000	0	1534000000	160000000	1100000	1200000	200000	2996500000	1500000	0	0	300000	0	500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	3001300000
5	102	**0102–शहरी परिवार कल्याण सेवाएं**	11000000	0	12980000	2200000	153000	80000	47000	26460000	150000	0	80000	80000	0	30000	200000	0	0	0	0	0	0	0	27000000
कुल योग			1441650000	700000	1703147000	188330000	17783000	3595000	551000	3355756000	2590000	50000	1478000	2805000	275000	1334000	13227000	950000	0	3050000	50000	7335000	1100000	10000000	3400000000

कुल योग– 3400000000 (तीन अरब चालीस करोड़) रूपये मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

2(12)
28-05-2015